उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-16/2018/440/94-स्टा०नि०-2-2018-700(57)/2018
लखनऊ : दिनांक 16 मई, 2018

अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 के प्रयोजनार्थ स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने हेतु निर्गत सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-912/11-2005-500(116)-2003 दिनांक 20 मई, 2005 को, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 का प्रत्याहरण किये जाने के दिनांक से विखण्डित करते हैं।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-16/2018/440(1)/94-स्टा0नि0-2-2018-700(57)/2018, दिनांक 16 मई, 2018

प्रतिलिपि:- हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक16.05.2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2018/440(1)/94-स्टा0नि0-2-2018-700(57)/2018, दिनांक 16 मई, 2018

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(11) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(12) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no 16/2018/ 440/94-S.R.-2-2018-700(57)/2018, Dated, 16 May, 2018

Notification
Order

No.- 16/2018/440/94-S.R.-2-2018-700(57)/2018
Lucknow Dated,16 May, 2018

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no 10 of 1897) the Governor is pleased to rescind the Government notification no. K.N.5-912/XI-2005-500(116)-2003 dated May 20, 2005, which is issued for the remittance of the stamp duty for the purposes of Sugar Industries Promotion Policy 2004, from the date of withdrawal of Sugar Industries Promotion Policy 2004.

By order,

Himanshu Kumar
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।